



# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905  
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / 2022-23 / विद्युत / 13148

दिनांक :- 04/08/22

## ई-निविदा सूचना संख्या 13 / 2022-23 / विद्युत

नगर निगम बीकानेर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ईच्छुक सम्भरणकर्ता जो कार्य करने/सामग्री सम्भरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्तें इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org) पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org) पर निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवाने के पश्चात् निविदा को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	प्रोसेसिंग शुल्क	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	कार्य अवधि
1.	शहीद कैप्टन चन्दर चौधरी स्मारक पर हाईमास्ट स्थापन मय संधारण का कार्य।	1.80	500/-	500/-	2%	04 माह

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक दिनांक व समय : 05.08.2022 को 09:30 बजे से  
ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय : 11.08.2022 को 18:00 बजे तक  
ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय : 12.08.2022 को 15:00 बजे पश्चात्

क्रमांक / 2022-23 / विद्युत / 13148 -52  
प्रतिलिपि :-

1. महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
2. उपायुक्त, नगर निगम बीकानेर।
3. लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर।
4. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर।
5. ओसवाल डाटा प्रोसेसर, बीकानेर को ऑनलाईन वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रकाशन हेतु।

आयुक्त  
नगर निगम, बीकानेर  
दिनांक :- 04/08/22

आयुक्त  
नगर निगम, बीकानेर



# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905  
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / 2022-23 / विद्युत / 13153

दिनांक :- 04/08/22

## ई-निविदा सूचना संख्या 13 / 2022-23 / विद्युत

नगर निगम कार्यालय, बीकानेर द्वारा विद्युत सम्बन्धित कार्य (राशि रुपये 01.80 लाख) हेतु इच्छुक सम्भरणकर्ता जो कार्य करने/सामग्री संभरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं तिथि राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाइट [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org) पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड की जा सकती है।

### 1. UBN Code :-

9  
आयुक्त  
नगर निगम, बीकानेर

क्रमांक / 2022-23 / विद्युत / 13153

दिनांक :- 04/08/22

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन :-
  1. एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
  2. एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। (50 हजार और उससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाले)

में RTPP नियमानुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई-मेल आईडी [nagarnigambikaner@gmail.com](mailto:nagarnigambikaner@gmail.com) पर भिजवाने का श्रम करें।

9  
आयुक्त  
नगर निगम, बीकानेर

04

**-: ई-टेण्डर हेतु निविदादाता के लिये निर्देश :-**

- निविदा पूर्णतया ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरी जावेगी। इच्छुक निविदादाता को अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
- निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि (EMD) का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org) पर **Pay Online Tender** ऑप्शन द्वारा **Online Tender, RISL, EMD Fee Pay** पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित शुल्क एवं धरोहर राशि से कम भुगतान करने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा हेतु अयोग्य माना जावेगा।
- प्रोसेसिंग शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

नाम	MD RISL, Jaipur
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
50 लाख तक	500 / -
50 लाख से अधिक	1000 / -

- निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

नाम	आयुक्त, नगर निगम बीकानेर
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
10 लाख तक	500 / -
10 लाख से अधिक	1000 / -

- इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अपनी फर्म के नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑनलाईन वेबसाईट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो ई-निविदा में डिजिटल रूप से साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास में पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र ईलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- ई-निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गई है।
- टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक समस्त कॉलम को समुचित रूप से भरकर ही ऑनलाईन दर्ज करें।
- यदि निविदादाता टेण्डर को ऑनलाईन जमा करवाने में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे।
- किसी प्रकार की टंकणीय त्रुटि होने की स्थिति में विभागीय ISOR/BSR में वर्णित दरें/विवरण मान्य होंगी।
- RPWA-100 की समस्त शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।

  
आयुक्त

नगर निगम, बीकानेर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर







# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905  
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

## :- तकनीकी निविदा प्रपत्र :-

निविदा में भाग लेने वाली फर्मों की तकनीकी जाँच निम्न बिन्दुओं के आधार पर ही की जावेगी। संवेदक द्वारा तकनीकी बिड मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन कर पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करने होंगे :-

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण								
1.	निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि (EMD) का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाइट <a href="http://www.bikanermc.org">www.bikanermc.org</a> पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाइट <a href="http://www.eproc.raajasthan.gov.in">www.eproc.raajasthan.gov.in</a> पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।								
2.	नगर निगम बीकानेर में ब्लड रिलेशन नहीं होने बाबत 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र।								
3.	किसी भी राजकीय कार्यालय में फर्म के डी-बार/ब्लैकलिस्ट ना होने का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र।								
4.	राजस्थान अनुबधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र।								
5.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 रजिस्ट्रेशन अथवा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत अथवा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।								
6.	कर्मचारी भविष्य निधि हेतु (EPF) पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।								
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI), 1948 पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।								
8.	जी.एस.टी. पंजीयन की सत्यापित प्रति।								
9.	पैन कार्ड की सत्यापित प्रति।								
10.	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक राजस्थान सरकार के सूचना संख्या/क्रमांक संख्या TR-4063/2018 एवं कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षणालय के पत्र क्रमांक व.नि.नि./लाईसेंस/2021/7454 दिनांक 29.06.2021 द्वारा यह सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गए समस्त श्रेणी के विद्युत ठेकेदारों के लाईसेन्स, विद्युत पर्यवेक्षकों के सक्षमता प्रमाण-पत्र, विद्युत पर्यवेक्षकों (खान) एवं विद्युत वायरमेन परमिट को भी ऑनलाईन पोर्टल <a href="http://eid.raajasthan.gov.in">eid.raajasthan.gov.in</a> पर माईग्रेट (डिजीटल) करवाना आवश्यक है। डिजीटल की प्रतिलिपि के अभाव में पुराना लाईसेन्स मान्य नहीं होगा। अतः सभी निवेदकों को उक्त डिजीटल लाईसेन्स की प्रतिलिपि निविदा के साथ <a href="http://www.eproc.raajasthan.gov.in">www.eproc.raajasthan.gov.in</a> वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।								
11.	विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में निर्धारित श्रेणी में निम्नानुसार पंजीयन की सत्यापित प्रति :- <table> <tr> <td>1. E-EWSD-I<sup>st</sup></td><td>Any Amount (कोई भी राशि)</td></tr> <tr> <td>2. E-EWSD-II<sup>nd</sup></td><td>Up to 25.00 Lacs</td></tr> <tr> <td>3. E-EWSD-III<sup>rd</sup></td><td>Up to 10.00 Lacs</td></tr> <tr> <td>4. E-EWSD-IV<sup>th</sup></td><td>Up to 05.00 Lacs</td></tr> </table>	1. E-EWSD-I <sup>st</sup>	Any Amount (कोई भी राशि)	2. E-EWSD-II <sup>nd</sup>	Up to 25.00 Lacs	3. E-EWSD-III <sup>rd</sup>	Up to 10.00 Lacs	4. E-EWSD-IV <sup>th</sup>	Up to 05.00 Lacs
1. E-EWSD-I <sup>st</sup>	Any Amount (कोई भी राशि)								
2. E-EWSD-II <sup>nd</sup>	Up to 25.00 Lacs								
3. E-EWSD-III <sup>rd</sup>	Up to 10.00 Lacs								
4. E-EWSD-IV <sup>th</sup>	Up to 05.00 Lacs								
12.	संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्रों में संलग्न Annexure A, B, C, D, and SR-11 Form पर स्वयं प्रमाणित कर जमा करवाना होगा।								

नोट :- निविदा दस्तावेजों की सम्पूर्ण प्रति को डाउनलोड कर निविदा में वर्णित समस्त शर्तों के स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर मय सील सहित तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।

प्रमारी (वि.)  
नगर निगम, बीकानेर

लेखाकार  
नगर निगम, बीकानेर

आयुक्त  
नगर निगम, बीकानेर


निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर


**:- निविदा की सामान्य शर्तें :-**

1. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जावेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
2. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा करवाने से मुक्त होंगे।
3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :- माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम 2.5 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों के मामले में जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित है, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत होगी। यह निम्न में से किसी एक रूप में जमा करवानी होगी :-
  1. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी।
  2. राष्ट्रीय बचत पत्र।
  3. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी।
  4. किसी अनुसूचित बैंक की निपत जमा रसीद (एफडीआर)।
  5. E-Grass कार्य सम्पादन प्रतिभूति से सम्बन्धित शर्तें :-
    - (a) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
    - (b) निम्नलिखित मामलों में कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहरण (Forfeit) कर ली जावेगी।
      1. जब निविदा के किन्हीं निबंधन/शर्तों का उल्लंघन किया जाता है।
      2. जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता है।
      3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा।
4. बोली प्रतिभूति :- उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी, जो कि नगद ऑनलाईन माध्यम से जमा करवानी होगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों से बोली प्रतिभूति की घोषणा ली जावेगी एवं कार्य की बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
5. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जावेगा।
6. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर दी जावेगी :-
  1. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
  2. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है।
  3. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
  4. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करवाता है।
7. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटाई जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
8. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
9. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटियाँ /उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई दरें अस्पष्ट होने पर शब्दों में लिखी गई दर मान्य होगी।
10. निविदाएं उनके खोले जाने के दिनांक से 03 माह (90 दिवस) की अवधि के लिये मान्य होगी।
11. निविदादाता फर्म अपनी निविदा को या उसके किसी साखान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगी या उसे भाड़े पर नहीं देगी।
12. बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद या यथा शीघ्र लौटाई जाएगी।
13. बयाना राशि से छूट उन फर्मों को है जो SSI यूनिट/MSME के अधीन पंजीकृत है, उन मदों के सम्बन्ध में जिनके के लिए उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के 0.5 प्रतिशत दर पर बयाना राशि जमा करवानी होगी।
14. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कार्य कौशल की निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
15. यदि उपापन संस्था किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।



16. बोलीदाता द्वारा कार्यालय के किसी कार्मिक को बोली के संबंध में या अन्य प्रकार से दबाव बनाने या परेशान करने पर बोली दाता/फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाकर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
17. बोली दस्तावेज में वर्णित शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि के सम्बन्ध में अस्पष्टता होने पर या उल्लेख नहीं होने पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य बाध्य होगा अर्थात् बोली दस्तावेज में शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि का उल्लेख नहीं हो या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर द्वारा निर्धारण किया जाएगा जो अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
18. वार्षिक दर संविदा अवधि में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
19. तकनिकी योग्यता के निर्धारण के लिए समस्त शपथ पत्र पर घोषणा राजस्थान सरकार के स्टाम्प पर पृथक पृथक प्रस्तुत किया जावेगा जिस पर उपापन समिति या आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/ बाध्य होगा।
20. बोली दस्तावेज को डाउनलोड करके बोली को दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि अच्छे से पढ़ कर भली भांति समझ कर उनको स्वीकार करने के प्रमाण में बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर तकनिकी बोली दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. ई बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थपन और उपांतरण ऑनलाइन ही अंतिम तिथि से पूर्व किया जावेगा। ऑफलाइन या कार्यालय में प्रस्तुत पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
22. बोली प्रक्रिया पर बोली दाता को कोई भी आपत्ति होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अपील की जा सकती है तथा शिकायत पर विचार नहीं किया जावेगा।
23. बोली वित्तीय बोली खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस की अवधि तक मान्य होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकेगा जिस पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य /बाध्य होगा।
24. बोली दस्तावेज में किसी शर्त, प्रावधान, शास्ति आदि का विरोधाभास होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य /बाध्य होगा।
25. वित्त विभाग राज सरकार जयपुर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसरण में कोई भी संशोधन एवं परिपत्र जारी किया जाता है तो स्वतः ही इस बोली दस्तावेज एवं वार्षिक दर अनुबंध का हिस्सा होगा एवं लागू होगा।
26. उपापन संस्था किसी भी निविदा जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने, बिना कोई ठोस कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक निविदादाताओं के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म या प्रदायकर्ता से अधिक को वितरित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगी।
27. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :
  1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख ( पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
  2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
  3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नो.।
  4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
28. यदि संविदा के निर्वाचन, आशय या संविदा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों के द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्त (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
29. संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्रों में संलग्न Annexure A, B, C, D, and SR-11 Form पर स्वयं प्रमाणित कर जमा करवाना होगा।

  
प्रमारी (वि.)  
नगर निगम, बीकानेर

  
लेखाकार  
नगर निगम, बीकानेर


  
आयुक्त  
नगर निगम, बीकानेर


निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर


**-: मुख्य निविदा शर्तें :-**

1. सभी निविदादाताओं पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नगरपालिका नियम व लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 और PWF&AR के नियम/प्रावधान लागू होंगे।
2. वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.10.2021 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति राशि (Additional Performance Security) Unbalanced Bid Amount का 50 प्रतिशत अनुबंध सम्पादन से पूर्व निगम कोष में ई-ग्रास, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या बैंक गारन्टी के रूप में जमा करवानी होगी।
3. निविदाएं उन फर्मों/डीलर्स द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो उन लेखों/उपकरण/मशीनरी के लिए पंजीकृत/अनुमोदित आपूर्तिकर्ता हैं, जो वास्तव में उन सामानों में हैं जिनके लिए निविदा दी जा रही है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर निविदा कभी भी निरस्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार आयुक्त महोदय का होगा।
5. निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को सबलेट/स्थानान्तरित नहीं कर सकेगा।
6. यदि सफलतम निविदादाता/ठेकेदार कार्य आदेश में निर्धारित समय अवधि से पूर्व बिना किसी पर्याप्त कारण के वित्तीय अनुसूची/वित्तीय स्वीकृत दर पर कार्य करने में असफल रहता है तो ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करने के अलावा शेष अवधि के लिए ठेकेदार के हर्जे खर्चे (Risk&Cost) पर नगर निगम कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।
7. निविदादाता को बिना सूचना दिये निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त/महापौर का होगा।
8. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर श्रीमान् आयुक्त/महापौर द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
9. निविदा खोलने के बाद प्रस्ताव वापस लेता है या उपन्तरण करता है या करार निर्धारित अवधि में नहीं करता है, प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाता है तो लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. कार्य की समयावधि 04 माह तक होगी।
11. नगर निगम किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकता है।
12. धरोहर राशि के निविदा के अंतिम में रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात् नियमानुसार समस्त असफल निविदाकार को प्रत्यर्पित कर दी जावेगी। यदि किसी फर्म की कोई राशि नगर निगम बीकानेर कार्यालय में पूर्व में जमा है तो उसे धरोहर/प्रतिभूति राशि पेटे नहीं माना जावेगा। प्रतिभूति राशि वास्तविक/कार्यादेश राशि के 2.50 प्रतिशत होगी।
13. परफोरमेंस गारंटी आदि हेतु राज्य वित्त विभाग के वर्तमान नियम प्रभावी होंगे।
14. उक्त कार्य की दोष दायित्व अवधि (DLP) एवं रख-रखाव के लिए समयावधि 02 वर्ष की होगी। उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर ही एस0डी0 राशि लौटाई जावेगी।
15. दरें सभी प्रकार के कर सहित मानी जावेगी। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर देय नहीं होगा।
16. समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान नगर निगम अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश/आदेश को मानने अथवा उसकी पालना करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
17. आयुक्त नगर निगम यथोचित कारण सहित इस चालू ठेके को सात दिवस के नोटिस पर निरस्त कर सकेंगे। इस निरस्तिकरण के कारण कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
18. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र बीकानेर होगा।
19. निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असन्तुष्ट ढंग से पूर्ण करने पर नगर निगम द्वारा बैंक गारन्टी/प्रतिभूति/अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में महापौर/आयुक्त नगर निगम, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होगा।
20. कार्य करते समय संवेदक को IER (Indian Electricity Rule) की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
21. संवेदक को नवीन विद्युत उपकरणों हेतु निर्माता द्वारा जारी गारण्टी/वारण्टी कार्ड एवं अन्य उपलब्ध करवाना होगा एवं उक्त अवधि में किसी प्रकार की तकनीकी खामी को दुरुस्त बिना किसी अतिरिक्त व्यय के करना होगा।
22. बिल का भुगतान नियमानुसार औपचारिकताएं व प्रमाणीकरण के पश्चात् किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ग्रांट/बजट में विलम्ब होने की स्थिति में भुगतान विलम्ब होने पर ठेकेदार द्वारा प्रशासन पर दबाव नहीं बनाया जाएगा।
23. सफलतम निविदादाता को नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

  
प्रभारी (वि.)  
नगर निगम, बीकानेर

  
लेखाकार  
नगर निगम, बीकानेर


  
आयुक्त  
नगर निगम, बीकानेर



24. ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक न होने पर महापौर/आयुक्त, द्वारा 03 नोटिस देने पर ठेका/निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगा। उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) एवं जमा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
25. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। प्रस्तुत दरें निविदा तिथि से 90 दिवस की अवधि तक मान्य होगी।
26. सफलतम निविदादाता की दरें स्वीकृत की जाती हैं, तो आदेश अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य संपादित करना होगा।
27. निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर आने पर यदि निगम कार्य आदेश देती है तो उसे अनुबंधित दर पर कार्य करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
28. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा करने का दायित्व संवेदक का होगा।
29. ठेकेदार को लेबर लॉ की पालना करनी होगी। ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी लगाने होंगे, यदि ठेकेदार के कर्मचारियों की कार्य के दौरान कोई दुर्घटना/जान माल की हानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
30. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिमाणों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
31. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
32. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापनन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
33. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई. एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
34. संवेदक को दर स्वीकृति के पश्चात् RUIDP-ISOR 2017 में Approved Make (Group-1) की हाई मास्ट एवं एलईडी लाइट्स की OEM Company द्वारा OEM कम्पनी के लेटरहेड पर संवेदक को कार्य करने के लिये जारी Authorization Letter की कॉपी एवं एलईडी लाइट एवं ड्राइवर की एल.एम. 79 तथा एल.एम. 80 टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।
35. उक्त कार्य के लिए रखरखाव एवं DLP की अवधि 02 वर्ष रहेगी तथा शिकायत प्राप्त होने के 48 घण्टों के भीतर शिकायत का निवारण नहीं करने पर 500/- रुपये प्रति हाईमास्ट मय टाईमर पैनल प्रति दिन की दर से शास्ति कटौति एस.डी. राशि में से की जाएगी।
36. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा सम्बंधित शर्तों को भली-भाँति पढ़ लें एवं शर्तों से सहमत होने के पश्चात् ही निविदा प्रक्रिया में भाग लें।
37. निविदा दस्तावेजों की सम्पूर्ण प्रति को डाउनलोड कर निविदा में वर्णित समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर मय सील सहित तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।

उपरोक्त समस्त शर्तें मेरे द्वारा भली-भाँति पूर्ण रूप से पढ़ ली/समझ ली गई हैं एवं मुझे समस्त शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

  
प्रमारी (वि.)  
नगर निगम, बीकानेर

  
लेखाकार  
नगर निगम, बीकानेर

  
आयुक्त  
नगर निगम, बीकानेर



# कार्यालय नगर निगम बीकानेर

Name of Work :- शहीद कैप्टन चन्दर चौधरी स्मारक पर हाईमास्ट लाईट लगाने मय संधारण का कार्य।

## "G-Schedule"

E-NIT No.13/2022-23/Light

S.No.	Item code	Item description "PART-A"	Qty.	Units	Rate	Amount
1	48.1	SITC of wall/free standing floor mounted dust and vermin proof compartmentalised cubical panel made out of CRCA sheet, required hardware, duly painted by two coats of zinc/red oxide primer followed by Powder coated / epoxy / PU painted with phosphatisation in grey or required shade after rinsing. The panel having PU/Neoprene rubber gasket of not less than 3mm thickness, separate detachable, gland plate M.S. base channel, hinged door with locking arrangement for equipment/switchgear. Thickness of sheet shall not be less than 1.6mm up to 600mm length/width of any compartment and be of 2.0mm above 600mm. Load bearing structure shall be of 2.0mm thick sheet supported by base M.S. channel if required. Side walls and cable alley compartments having bolted type doors with detachable extension type structure (only outer area on all sides shall be measured and panel to be fabricated from CPRI approved fabricator).	1.00	Sqm	1800.0	1800.00
2	45.2.1	P & F in position frame made out of M.S. angle (riveted or welded) finished with two coats of red oxide and enamel paint of following sizes as required, 25mm x 25mm x 3mm	9.00	Mtr.	80.00	720.00
3	45.6.2	Bakelite sheet 6.4 mm thick	1.00	Sqm	1436.00	1436.00
4	52.7.3	Supplying and making one end termination with heavy duty single compression brass gland SIBG type, copper lugs duly crimped with crimping tool, PVC tape etc for following size of Armoured PVC insulated & PVC sheathed/ XLPE aluminium conductor cable of 1100 volt grade as required of size, 2 x 6.0 sq mm	1.00	Set	72.00	72.00
5	52.7.4.1	4 x 6.0 sq.mm	1.00	Set	87.00	87.00
6	46.1.1.2	P&F 240/415 V MCB of breaking capacity not less than 10 KA (B/ C/ D tripping characteristic) ISI marked IS 8828(1996)]/ conforming to IEC 60898 in existing board/sheets including making connections with lugs, testing etc, as required, Single pole MCB 6 A to 32 A rating	2.00	Each	161.00	322.00
7	46.1.1.2	Double pole MCB 40 A to 63 A rating	2.00	Each	717.00	1434.00
8	46.1.6.2	Four pole MCB 40 A 63 A rating	1.00	Each	1311.00	1311.00
9	48.2.1	Supplying and fixing of Aluminium/Copper bus bar by means of SMC / DMC type insulator, high tensile nuts and bolts spring washers in existing panel including bending, cutting in required shape and size and colour coding with heat shrinkable PVC sleeves, Electrolytic grade aluminium bus bar	0.50	Kg	394.00	197.00
10	48.15.1.4	P & F of ac operated heavy duty 230 /440 Volt power contactor conforming to IS:13947-4-1/IEC:947-4-1 having provision of mechanical interlocking, Din rail mounting type including making connections, testing etc, as required, 3 pole AC3 Rating contactors . 26 to 32 Amp	1.00	Each	1385.00	1385.00
11	48.20.3	P&F of mechanical / digital time switch having following day / week programme and minimum 100 hours reserve and AC1 rating of 16-20 amperes including making connection, programming etc, as required, One day & week reserve (digital type)	1.00	Each	4581.00	4581.00
12	48.14.2.2	P&F Cam operated rotary switches on existing panel with 2 way and off position, Two Pole 32 A	1.00	Each	531.00	531.00
13	54.15.1.1	Maintenance free gel earthing with pipe in pipe /Strip in Pipe technology filled with anti corrosive conductive compound (CPRI tested) below the ground in 150 -200 mm dia earth pit and surrounding filled with required mineral filling compound (MFC should have hygroscopic property to retain the moisture for long time to create low resistance Zone) and C.C. finished chamber covered with hinge type with locking arrangement C.I cover, C.I. frame of size 300mm x300mm complete testing of earth resistance as required of following sizes With pipe in pipe technology (inner pipe dia / outer pipe dia) 80 -100 micron G.I. coating. With pipe in pipe technology with 80-100 micron G.I. coating, G.I. pipe 2000 mm long , 50/25 mm , terminal 12 mm G.I. strip	1.00	Set	2808.00	2808.00

14	58,32.5	P & F of IP-66 protected high power LED flood light system with extruded aluminium housing, toughened glass diffuser with suitable lenses on LED to achieve various beam angles, 240 volt, 50Hz, of high power LED lamps supplied with pre wired cable of 1 mtr. Integrated driver shall be high efficiency having efficiency more than 85 % and in compliance to IEC standards. System life of 50000 burning hours with 70 % of initial lumen be maintained. Light output in red, green, blue, cool white or warm white colour as per engineers choice. Fixtures shall be CE compliance. <b>High power LED flood light 100 watt</b>	7.00	Each	9871.00	69097.00
15	54,4.12	S & Laying following size earth wire/strip in horizontal or vertical run in ground/surface/recess including riveting, soldering, saddles, making connection etc, as required 20mm x 3mm G.I. Strip	5.00	Mtr	42.00	210.00
16	51,1.4.1	Providing & Laying XLPE insulated / P.V.C. sheathed cable of 1.1 KV grade with aluminium conductor Armoured of IS:7098-I/1554-I approved make in ground as per IS:1255 including excavation of 30cmx75cm size trench, 25 cm thick under layer of sand, second Class bricks covering, refilling earth, compaction of earth, making necessary connection, testing etc, as required of size, 10.0 Sq.mm 2 core	20.00	Mtr	147.00	2940.00
17	44,1.2	Supplying and drawing FR PVC insulated & unsheathed flexible copper conductor ISI marked (IS:694) of 1.1 KV grade and approved make in existing surface or recessed conduit/casing capping including making connections etc, as required, 2 x 1.5 sq.mm	50.00	Mtr	26.00	1300.00
<b>Total of "PART-A"</b>						<b>90231.00</b>

**(H-Schedule)**

S.No.	Item code	Item Description "PART-B"	Qty.	Units	Rate	Amount
1	Market Rate	Providing & Fixing of HDPE pipe ISI mark (IS:4984/95) for water supply (suitable for submersible & jet pump) with required fittings 50 mm OD 4 kg / cm2	30.00	Mtr		
2	Market Rate	SITC of 8/8.5 mtr. Swaged pole type Mini mast lighting system consisting of totally hot dip galvanised by single dipped method Swaged Pole, lantern carriage suitable for up to 06 nos luminaries with welded arm, mast head frame assembly with full cover, Single drum type self sustaining winch, integral power tool accesible from door with padlocking arrangement hot dipped galvanised heavy duty pipe lightening finial, suitable steel wire ropes (AISI 316, 7 / 19 construction), PVC insulated sheathed trailing cable, Up- Down Lantern carriage operation (Various section & size with lenth & thickness) Bottom 2000 mm, Middle 2000 mm, Top 3000 mm, OD & THK of Bottom Dia 10X4.5 mm, Middle Dia 165X4.5 mm, Top Dia 117X3.5 mm and CC foundation of M - 20 grade complete as required. The 8 mtr. Swaged Pole type mast is constructed from mild steel plates/ Structural steel pipe cut and Welded to form a swaged pole, telescopic jointed and welding as per BS 5135. (Various section & size with lenth & thickness)	1.00	Each		
<b>Total of "PART-B"</b>						
<b>Total Amount :-</b>						<b>1.80 Lacs</b>



AEn/Ex.En.

Municipal Corporation Bikaner

I/we agree to do the work as per specification and BMC terms & conditions.

1. PART-A as per G-Schedule @ .....% (Above/Below/BSR)

2. PART-B as per H-Schedule @ Rs. ....../-.

Signature of Contractor with Seal



## **Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

### **Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

## **Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

### **Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:  
Place:

Signature of bidder  
Name :  
Designation:  
Address:



## **Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is \_\_\_\_\_

The designation and address of the Second Appellate Authority is \_\_\_\_\_

### **(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

### **(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

### **(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

**(6) Fee for filing appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement  
Act, 2012**

Appeal No .....of .....

Before the ..... (First / Second Appellate Authority)

**1. Particulars of appellant:**

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

**2. Name and address of the respondent(s):**

(i)

(ii)

(iii)

**3. Number and date of the order appealed against  
and name and designation of the officer / authority  
who passed the order (enclose copy), or a  
statement of a decision, action or omission of  
the Procuring Entity in contravention to the provisions  
of the Act by which the appellant is aggrieved:**

**4. If the Appellant proposes to be represented  
by a representative, the name and postal address  
of the representative:**

**5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:**

**6. Grounds of appeal:**

.....  
.....  
..... (Supported by an  
affidavit)

**7. Prayer:**

.....  
.....  
.....

Place .....

Date .....

Appellant's Signature

## **Annexure D : Additional Conditions of Contract**

### **1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### **2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.



## निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने .....  
..... निविदा दी है।

यदि उक्त निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप में समपहन्त कर लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम  
पूर्ण पता

टेलीफोन नं० (निवास)  
(कार्यालय)